10-7-2024

आज यह पत्रावली पेश हुई। कोई मौइफ़ वादी व वादी अभिभाषक को बार-बार आवाज लगाई गई फिर भी उपस्थित नहीं आये। ना ही वादी साक्ष्य प्रस्तुत करवा रहे हैं। जिससे वादी की उक्त वाद में कोई रूचि प्रतीत नहीं है। अतः वादी के अभाव [illegible] पत्रावली बवजह अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)